(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 04 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल, 2016

विषयः– स्तर धारक–विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 3.20(ख) में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 का मौजूदा पैराग्राफ 3.20 (ख)

आयात–निर्यात कोड (आईईसी) वाले माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक एक स्तर–धारक के रूप में पहचान प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्तर धारक की पहचान निर्यात निष्पादन पर निर्भर करती है। एक आवेदक को विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 में दर्शाए अनुसार मौजूदा और गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन प्राप्त कर लेने पर स्तर धारक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। निर्यात निष्पादन की गणना मुक्त विदेशी मुद्रा निर्यात आय के एफओबी मूल्य के आधार पर की जाएगी।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 का संशोधित पैरा 3.20 (ख)

आयात–निर्यात कोड (आईईसी) वाले माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक एक स्तर–धारक के रूप में पहचान प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्तर–धारक की पहचान निर्यात निष्पादन पर निर्भर करती है। एक आवेदक को विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 में दर्शाए अनुसार मौजूदा और गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन प्राप्त कर लेने पर स्तर–धारक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा (रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए स्तर धारक के रूप में पहचान हेतु विगत दो वर्षों के दौरान किए गए निष्पादन पर विचार किया जाएगा) निर्यात निष्पादन की गणना मुक्त विदेशी मुद्रा निर्यात आय के एफओबी के आधार पर की जाएगी।

इस अधिसूचना का प्रभावः चालू और विगत तीन वित्तीय वर्षों में निर्यात संबंधी स्तर धारक की पहचान हेतु मानदण्ड में चालू और विगत दो वर्षो के मौजूदा मानदण्ड से दिनांक 01.04.2016 से परिवर्तन किया गया है। रत्न और आभूषण क्षेत्रों के लिए चालू और विगत दो वर्षों में निर्यात निष्पादन का मौजूदा मानदण्ड यथावत रहेगा।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01 / 61 / 180 / 179 / एएम16 / पीसी–3 से जारी)